विशेष सूचना

दिनांकः– 05/07/2022

मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल सेवा योजना के प्रावधानुसार हितग्राहियों को शिक्षा सहायता प्रदाय हेतु।

सत्र 2021–22 में प्रवेशित विद्यार्थी जिनके माता या पिता की मृत्यु कोविड–19 से हुई हो जो 01 मार्च 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में हुई है। योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि–

ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उस से कम है, परन्तु स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो और जिनके –

1. माता–पिता की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
2. माता–पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. माता–पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. प्रभावित छात्र/छात्रा का परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो। (स्थानीय प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
5. परिवार को मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो।
6. बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन की पात्रता हो।

आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

- योजना अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेजों सहित योजना के लिए निर्मित पोर्टल **covidbalkalyan.mp.gov.in** पर ही प्राप्त किए जायेंगे।

उपरोक्त लिंक किसी भी कम्प्यूटर/लेपटॉप से भी स्वयं द्वारा किया जा सकता है। अतः छात्रवृत्ति फार्म तथा समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 10/07/2022 तक महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

PRINCIPAL
St. Aloysius College (Autonomous)
JABALPUR- 482001 (M.P.)
INDIA